भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2193

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष वीज़ा

2193. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष वीज़ा के अंतर्गत अधिकतम प्रवास अवधि कितनी है;
(ख) क्या उपचार के आधार पर प्रवास की यह अवधि बढ़ाई जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस आयुष वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों के लिए कोई वित्तीय गारंटी या स्वास्थ्य बीमा अनिवार्यताएं हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): एम-3 वीजा (आयुष) ऐसे विदेशी (पाकिस्तानी नागरिक के अलावा) को दिया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अस्पताल/कल्याण केंद्रों में आयुष पद्धतियों यथा थेरेपी देखभाल और आरोग्य के माध्यम से उपचार प्राप्त करना है, जिनमें आयुष सेवाएं प्रदान करने वाले संबंधित किसी भी सरकारी प्राधिकरण के साथ मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)/राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल शामिल हैं।

एम-3 वीजा की वैधता की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष या एक वर्ष के दौरान अधिकतम तीन प्रविष्टियों के साथ उपचार की अवधि तक हो सकती है। इस अवधि को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा प्रारंभिक एम-3 वीजा जारी करने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष के अधीन वार्षिक आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसी प्रकार, ई-एम3 वीजा अधिकतम तीन प्रविष्टियों के साथ भारत में पहली प्रविष्टि की तारीख से 60 दिनों तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। ई-एम3 वीजा के मामले में विस्तार संबंधित एफआरआरओ/विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर 06 महीने तक दिया जा सकता है।

एम-3 वीजा स्थिर वित्तीय स्थिति के व्यक्तियों को जारी किया जाता है (वापसी टिकट को प्रस्तुत करने और भारत में अपने प्रवास के दौरान खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि की उपलब्धता, जिसमें ऐसे उपचार के लिए खर्च भी शामिल है, जिसे इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जा सके)।

*****